



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 551]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 734(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 का आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) द्वितीय संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के उप-नियम (6) में "30 सितम्बर, 2011 तक" शब्दों, अक्षरों और अंकों के बदले "31 मार्च, 2012 तक" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(6)/2010-पार्ट]

पंकज अग्रवाल, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में 9 मार्च, 2011 को सा.का.नि. 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 318(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2011 को संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2011

G.S.R. 734(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Second Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 in sub-rule (6), for the words, letters and figures "upto 30th September, 2011", the words, letters and figures "upto 31st March, 2012" shall be substituted.

[F.No. WM-9(6)/2010-Pt.]

PANKAJ AGARWALA, Addl. Secy.

Note : The Principal Rules were published in Gazette of India on 9th March, 2011, vide G.S.R. 202(E), dated 7th March, 2011 and amended vide G.S.R. 318(E), dated 13th April, 2011.